

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.1267/2024

IN THE MATTER OF:
Kuldeep Dhama

....Applicant

Versus

State of Haryana & Ors.

.....Respondent

**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.- 5 UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE
TO THE ORDER DATED 23.01.2025 PASSED BY THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW
DELHI.**

I, Bhuvan Prakash Yadav S/o Shri C.L.Yadav, aged about 46 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That in compliance with the order dated 21.11.2024 of this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as 'Hon'ble Tribunal'), the Joint Committee Report dated 23.12.2024 has been filed by the Central Pollution Control Board (CPCB). Considering the observations made in the Joint Committee Report and the averments in the application, this Hon'ble Tribunal has impleaded the UPPCB as Respondent No. 5 for want of a



ATTESTED

AKHILESH KUMAR
NOTARY PUBLIC

has impleaded the UPPCB as Respondent No. 5 for want of a response.

3. That, in pursuance of the observations and recommendations, the UPPCB issued a show cause notice on 20.02.2025 against M/s Smart Mart Stores Pvt. Ltd. for the imposition of Environmental Compensation concerning illegal/excess mining of sand and for violating the conditions of Environmental Clearance and Consent to Operate (CTO). A true copy of the show cause notice is annexed herewith and marked as **Annexure R5/1**.
4. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

BP Yadav

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Meerut on this the 27th day of February, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



BP Yadav

DEPONENT

ATTESTED

AKHILES KUMAR
AKHILES KUMAR
NOTARY MEERUT



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure R5/1

संदर्भ संख्या: 42/2025 सी-3 / जल 281 / 26 / 2025

दिनांक: 28/2 / 2025

3

सेवा में,

मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0,
ग्राम सांकरौद, तहसील खेकड़ा,
बागपत। 01127414369

पंजीकृत

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली, में योजित ओ0ए0 संख्या-1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-23/01/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके के सुसंगत अंश निम्नवत हैं-

" 2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it necessary to have responses of (1) State of Uttar Pradesh through Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of Uttar Pradesh (2) Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, (3) District Magistrate, Baghpat, (4) CPCB through Member Secretary, (5) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary, (6) M/s Smart Mart Stores Private Ltd. (Project Proponent), A-1/1, Hardev Puri, 100 FT, Road, Nathu Colony Chowk, Shahdara, New Delhi-110032 who stand impleaded as respondents no. 1 to 6"

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक-09/12/2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। समिति की आख्या मा0एनजीटी में दाखिल की गयी है। समिति की आख्या के अनुसार मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0, ग्राम सांकरौद, तहसील खेकड़ा, बागपत में प्रदत्त अनुमति 1,40,000 घनमीटर के सापेक्ष 108403 घनमीटर खनन किया गया है, किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमन्य जिओ कोआर्डिनेट 28°50'47.33"N, 77°12'52.64"E के आसपास 357 घनमीटर का माइनिंग लीज अनुमति के बिना अवैध खनन/Excess Mining किया गया है एवं इस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति तथा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

खनन विभाग के शासनादेश के अनुसार खनन की दर (65रूपये प्रतिघन मीटर x 5=325 रू0) के आधार पर खनिमुख मूल्य (Pit mouth value)= 357x65x5=1,16,025/= एवं रायल्टी रू0 357x65=23,205/= सहित कुल मार्केट वैल्यू धनराशि 1,39,230/-आंकलित होता है।

खनन पट्टा इकाई मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम सांकरौद तहसील खेकड़ा जनपद बागपत में किये गये खनन के विरुद्ध मा0एनजीटी में माइनिंग से संबंधित एक अन्य वाद ओ0ए0 संख्या-360/2015 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसियेशन बनाम वीरेन्द्र सिंह(गुजरात) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मेथेडोलाजी दिनांक-29/01/2020 एवं तत्कम में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक-11/06/2021 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये एवं बिना

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गये खनन के सम्बन्ध में इकाई के विरुद्ध NPV के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :-

Approach 2: Computing a Simplified NPV(Net Present Value) for ecological damages.

In this approach, the criteria adopted is:

Total Benefits (B) = Market Value of illegal extraction: D

Total Ecological Costs = Market Value Adjusted for risk factor: D*RF

| Severity | Mild | Moderate | Significant | Severe |
|-----------------|------|----------|-------------|--------|
| Risk Level | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Risk Factor(RF) | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.0 |
| Discount(r) | 8% | 7% | 6% | 5% |

Market value of illegally mined materials $D=Z \times$ market value of the material per MT or m^3
 $= 357 \times 65 \times 6$
 $D = 1,39,230/-$

Present value of foregone Ecological values @ 5% discount rate and over 5 years

= D x RF

= 1,39,230 x 1 (RF = 1.0; Severe as being illegal)

= 1,39,230/-

$$PV = \sum_{t=1}^5 \frac{(D*RF)}{(1+r)^t}$$

$$= \sum \frac{(139230)}{(1+0.05)^1} + \frac{(139230)}{(1+0.05)^2} + \frac{(139230)}{(1+0.05)^3} + \frac{(139230)}{(1+0.05)^4} + \frac{(139230)}{(1+0.05)^5}$$

$$= 132600 + 126285.71 + 120272.10 + 114544.86 + 109090.34 =$$

$$= 602793.01 =$$

Net Present value(NPV)=PV-D

$$= 602793.01 - 139230$$

$$= 463563.01 =$$

Compensation Charge in above case:

| |
|--|
| Approach 2 (explicit accounting of NPV) |
| @ 5% discount rate and over 5 years |
| Rs. 463563.01/= |
| Rs 463563/=(say) |

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.02.2025 के द्वारा मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0, ग्राम सांकरौद, तहसील खेकड़ा, बागपत के विरुद्ध एप्रोच-2 के आधार पर रू0 4,63,563/=(रू0 चार लाख तिरसठ हजार पांच सौ तिरसठ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के अनुपालन में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त उद्योग के विरुद्ध रूपये 4,63,563/=(रू0 चार लाख तिरसठ हजार पांच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

“यह कि क्यो न मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0, ग्राम सांकरौद, तहसील खेकड़ा, बागपत के विरुद्ध अवैध खनन किये जाने, पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों के उल्लंघन किये जाने उपर्युक्त गणना अनुसार रूपये 4,63,563/=(रू0 चार लाख तिरसठ हजार पांच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।

उपरोक्त पर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा मै0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0, ग्राम सांकरौद, तहसील खेकड़ा, बागपत के विरुद्ध रूपये 4,63,563/=(रू0 चार लाख तिरसठ हजार पांच सौ तिरसठ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।



पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त-3

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य विधि अधिकारी, (प्र), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस को अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराते हुए 15 दिवस में अपनी आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।



पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त-3

